REET 2025 LEVEL-2

वंदन बैच

POLITY

राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां

LIVE 17-01-2024 07:00 PM

राष्ट्रपति की आपातकालिन शक्तियां

- भाग - 18
- अनुच्छेद - 352 - 360

राष्ट्रीय आपातकाल

→ अनु. 352

राष्ट्रपति शासन

अनु. 356

वित्तीय आपातकाल

अनु. 360

① राष्ट्रीय आपातकाल [अनु. 352]

जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाये कि देश में कोई बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है।

+ राष्ट्रीय आपातकाल में पहले आन्तरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया।

उद्घोषणा → राष्ट्रपति [मंत्रिमण्डल की लिखित सलाह पर]

* मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनु. 352 में प्रयोग किया गया।

अनुमोदन → एक माह के भीतर-भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन अनिवार्य

अवधि → एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह → अधिकतम → अनिश्चित
→ 6-6 माह तक बढ़ाया जा सकता

समाप्त → राष्ट्रपति

अनु. 359 → राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं।

अनु. 358 → बाह्य आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन होने पर अनु. 19 स्वतः निलम्बित हो जाता है।

→ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं

② राष्ट्रपति शासन [अनु. 356]

→ यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है।

उद्घोषणा → राष्ट्रपति

अनुमोदन → **दो माह** के भीतर - भीतर संसद के दोनो सदनो में अनुमोदन अनिवार्य

अवधि → एक बार अनुमोदन पर 6 माह

अधिकतम अवधि → 3 वर्ष

अपवाद → पंजाब → 5 वर्ष तक

③ वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो की देश मे वित्तीय संकट आ सकता है तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है।

अनुमोदन → संसद के दोनो सदनो से दो माह के भीतर-भीतर

* भारत में अब-तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुका है।

पहली बार → 1962 → कारण → भारत - चीन युद्ध

दूसरी बार → 1971 → कारण → भारत - पाक युद्ध

तीसरी बार → 1975 → कारण → आन्तरिक अशांति

* भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में (10) लगा है।

* भारत में अभी तक एक-बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।